न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 113/2007

सरकार जरिये तहसीलदार, कोटखावदा, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. श्रीमती मांगी देवी पत्नी किशनलाल, जाति–खटीक, निवासी–कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
2. अजयपाल पुत्र किशनलाल, जाति–खटीक, निवासी–कोटखावदा, तह0–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
3. राधेश्याम पुत्र किशनलाल, जाति–खटीक, निवासी–कोटखावदा, तह0–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
4. विनोद कुमार पुत्र किशनलाल, जाति–खटीक, निवासी–कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
5. मथुरा प्रसाद पुत्र किशनलाल, जाति–खटीक, निवासी–कोटखावदा, तहसील–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
6. कुलदीप पुत्र किशनलाल, जाति–खटीक, निवासी–कोटखावदा, तह0–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
7. शिवराम पुत्र भोमा, जाति–खटीक, निवासी–प्लॉट नं0–147, मोचियों की गली, हीदा की मोरी, रामगंज बाजार, जयपुर।
8. बाबूलाल पुत्र भोमा, जाति–खटीक, निवासी–कोटखावदा, तह0–कोटखावदा, जिला–जयपुर।
9. रामस्वरूप पुत्र भोमा, जाति–खटीक, निवासी–104, बृजवाटिका, जगतपुरा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. पेशकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 14.08.2019

तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम कोटखावदा की आराजी खसरा नम्बर 3278 रकबा 101 बीघा 19 बिस्वा सिवायचक गैर–मुमकिन नाला दर्ज हैं जिसके एकीकरण के फलस्वरूप जमाबन्दी एकीकरण सम्वत् 2020 में खसरा नम्बर 966 रकबा 84 बीघा 01 बिस्वा नदी–नाले सिवायचक किस्म जमीन गैर–मुमकीन नाला दर्ज है, इस आराजी में से भोमाराम पुत्र भैरू, जाति–खटीक को रकबा 05 बीघा आवंटन होने के फलस्वरूप जरिये

नामान्तरकरण संख्या 553 भोमा को गैर–खातेदारी दी गई हैं जिसके हाल खसरा नम्बर 4115 मिन रकबा 1.26 जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में बतौर खातेदार श्रीमती मांगी देवी वगैराह के नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज गैर–मुमकीन नाला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक किस्म जमीन गैर–मुमकीन नाला दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 में ग्राम कोटखावदा की आराजी खसरा नम्बर 3278 रकबा 101 बीघा 19 बिस्वा सिवायचक गैर–मुमकिन नाला दर्ज हैं जिसके एकीकरण के फलस्वरूप जमाबन्दी एकीकरण सम्वत् 2020 में खसरा नम्बर 966 रकबा 84 बीघा 01 बिस्वा नदी–नाले सिवायचक किस्म जमीन गैर–मुमकीन नाला दर्ज है, इस आराजी में से भोमाराम पुत्र भैरू, जाति–खटीक को रकबा 05 बीघा आवंटन होने के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या 553 भोमा को गैर–खातेदारी दी गई हैं जिसके हाल खसरा नम्बर 4115 मिन रकबा 1.26 जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में बतौर खातेदार श्रीमती मांगी देवी वगैराह के नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी गैर–मुमकीन नाला की नियमों के विपरीत खातेदारी दी जाकर नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है जिसके फलस्वरूप वर्तमान में अप्रार्थी मांगी देवी वगैराह के नाम खातेदारी दर्ज है। विवादग्रस्त आाराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2023 में यह आराजी गैर–मुमकीन नाला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम

Scanned by CamScanner

(13)

में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नाला भूमि का आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शुन्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे। अप्रार्थी की फौतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वारिसान को तलब किया गया। आंवटी/खातेदार के जायज वारिस बावजूद तामील असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे अतः अनुपस्थिति की दशा में इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने उभयपक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2004–2023 ग्राम कोटखावदा की आराजी खसरा नम्बर 3278 रकबा 101 बीघा 19 बिस्वा सिवायचक गैर–मुमकिन नाला दर्ज हैं जिसके एकीकरण के फलस्वरूप जमाबन्दी एकीकरण सम्वत् 2020 में खसरा नम्बर 966 रकबा 84 बीधा 01 बिस्वा नदी–नाले सिवायचक किस्म जमीन गैर–मुमकीन नाला दर्ज है, इस आराजी में से भोमाराम पुत्र भैरू, जाति–खटीक को रकबा 05 बीधा दिनांक 11.02.1969 को आवंटन होने के फलस्वरूप जरिये नामान्तरकरण संख्या 553 भोमा को गैर–खातेदारी दी गई हैं जिसके हाल खसरा नम्बर 4115 मिन रकबा 1.26 जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में बतौर खातेदार श्रीमती मांगी देवी वगैराह के नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2004–2023 में दर्ज गैर–मुमकीन नाला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन/खातेदारी दिनांक को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकीन नाला दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2004–2023 से होती है और इस आराजी के खातेदारी के फलस्वरूप वर्तमान में अप्रार्थी मांगी देवी वगैराह के नाम दर्ज है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी 2061–2064 से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान

Scanned by CamScanner

काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार सिवायचक गैर–मुमकीन नाला की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नाला भूमि की खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकीन नाला भूमि का आवंटन/नियमन /खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि आंवन्टी तथा आंवन्टी के पश्चात् अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, चाकसू हाल कोटखावदा द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी के आवंटन दिनांक 11.02.1969 को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं इसके पश्चात् अन्य व्यक्तियों के नाम निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस सिवायचक गैर–मुमकीन नाला दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 14.10.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 14.08.2019 को सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner